केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

नं. CBSE/Coord/Practical-Suppl./2026/15998 **दिनांकः 22 जुलाई 2026**

परिपत्र

विषयः पूरक परीक्षा, 2026 के साथ प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश

अध्ययन योजना/परीक्षा उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार, छात्रों की निम्नलिखित दो श्रेणियों के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी आवश्यक हैं:

(क) ऐसे छात्र जिन्हें किसी भी विषय में प्रैक्टिकल में रिपीट (RP) के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।
(ख) ऐसे छात्र जिन्हें किसी भी विषय (ओं) में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में रिपीट (आरबी) के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

स्कूल और छात्र कृपया इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

1. कक्षा XII के उम्मीदवारों के लिए पूरक परीक्षाओं के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होना

एक छात्र जिसे प्रैक्टिकल में रिपीट (आरपी) के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है, उसे केवल पूरक परीक्षाओं के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षा में उपस्थित होना होगा और ऐसे उम्मीदवार को थ्योरी परीक्षा में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले थ्योरी के अंकों को आगे ले जया जाएगा और उन्हें शामिल किया जाएगा।

जिन छात्रों को रिपीट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में रिपीट (आरबी) के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है, उन्हें पूरक परीक्षा, 2026 के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ-साथ थ्योरी परीक्षा में उपस्थित होना होगा।

2. प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन के लिए तिथियाँ

प्रैक्टिकल परीक्षाएं **29 जुलाई से 04 अगस्त 2026** तक आयोजित की जाएंगी।

3. **प्रैक्टिकल परीक्षाओं का महत्व**

(क) नियमित उम्मीदवारों के लिए, उनके स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
(ख) प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं थ्योरी/सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। यदि किसी परीक्षा केंद्र/विद्यालय में, किसी विशेष विषय (विषयों) में प्रैक्टिकल परीक्षाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित क्षेत्रीय

कार्यालय पास के परीक्षा केंद्र/विद्यालय में उस विषय (विषयों) में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।

4. बोर्ड द्वारा बाहरी परीक्षक की नियुक्ति

क्षेत्रीय कार्यालय बारहवीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति स्कूलों/केंद्र अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के स्कूल शिक्षकों से की जाएगी।

5. प्रैक्टिकल के लिए उत्तर पुस्तिकाएँ

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग प्रैक्टिकल परीक्षा के संचालन के लिए किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षक प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक और सही ढंग से पूरा करता है

6. पोर्टल पर प्रैक्टिकल अंक अपलोड करना

स्कूल/परीक्षा केंद्र जहां पूरक परीक्षा-2026 के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसी दिन पोर्टल पर उम्मीदवारों को दिए गए अंकों को अपलोड करेंगे। एक बार अपलोड किए गए अंकों को अंतिम माना जाएगा और उसमें किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. छात्रों/ परीक्षार्थियों द्वारा कार्रवाई

(क) छात्र/परीक्षार्थी अपने परिणाम/अंक तालिका और प्रवेश पत्र की एक प्रति के साथ 27 जुलाई 2026 तक अपने स्कूलों/परीक्षा केंद्रों से संपर्क करेंगे।

(ख) छात्र/परीक्षार्थी स्कूल/परीक्षा केंद्र द्वारा दी गई प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख और समय को नोट करेंगे और समय पर निर्धारित स्थान पर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए रिपोर्ट करेंगे।

8. स्कूल/परीक्षा केंद्रों द्वारा कार्रवाई

(क) स्कूल/परीक्षा केंद्र के स्कूल प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक उन सभी छात्रों की विषयवार सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं।

(ख) स्कूल/परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक, जहां भी आवश्यकता हो, बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से पहले से संपर्क करेंगे।

(ग) किसी भी परिस्थिति में विद्यालय/परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक अपने आप बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे।

(घ) प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि और समय बाहरी परीक्षकों की उपलब्धता, परीक्षार्थियों की सुविधा और पूरक परीक्षाओं की डेटशीट को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा।

(च) छात्रों/परीक्षार्थियों को परीक्षा आयोजित करने की तारीख और समय के बारे में पहले

से ही सूचित किया जाएगा।

(छ) क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन की योजना के बारे में सूचित किया जाएगा।

9. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

(क) क्षेत्रीय कार्यालय उन सभी छात्रों की सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं केंद्र-वार और विषय-वार आयोजित की जानी हैं।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय जहां भी आवश्यकता होगी, पहले से ही बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय प्रैक्टिकल परीक्षा को समय पर पूरा करना,पोर्टल पर प्रैक्टिकल अंकों को अपलोड करना और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि वेब एडमिन को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ